भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2243 का उत्तर

विभिन्न श्रेणियों को रियायत

2243. श्री वी. के. श्रीकंदन:
श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:
श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोरोना काल से पहले रेल मंत्रालय द्‌वारा वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, बच्चों, मान्यताप्राप्त पत्रकारों सहित रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को किन क्षेत्रों में रियायतें दी जा रही थीं तथा उनका प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या ऐसी रियायतें बंद की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो ये रियायतें कब तक बहाल होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्‌योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करता है और वर्ष 2022-23 में यात्री टिकटों पर ₹56,993 करोड़ की रियायत दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत है। दूसरे शब्दों में आसान समझ के लिए, यदि सेवा प्रदान करने की लागत ₹100 है, तो टिकट की कीमत केवल ₹54 है। यह रियायत सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों की 4 श्रेणियां (दिव्यांगजन), रोगियों की 11 श्रेणियां और छात्रों की 8 श्रेणियां जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी राशि से अलग रियायतें जारी हैं।

****